न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–दूदू

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिहं, R.A.S.

प्रकरण : राजस्व वाद

(GCMS No.) 2023/707

1. राकेश पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर वगेरह।

–वादीगण

वनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री झूंथाराम जाति जाट नि0 गिरधारीपुरा तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर वगेरह।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्रः– अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी

उपस्थित : 1. श्री भैरूलाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री नारायण सहाय पारीक अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

: : आदेश : :

दिनांक :– 16.05.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की आर से प्रस्तुत वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी सं. 8 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के खाता संख्या 17 के आराजी नम्बर 217 रकबा 1.5200 है0, खसरा न0 222 रकबा 6.0400 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 7.5600 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम गिरधारीपुरा तहसील मौजमाबाद के बाबत उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त भूमि बाबत उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जौन 11 जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.04.2023 में यह आदेश पारित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए निर्वापित किये जाने के आदेश पारित कर दिये । उपरोक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ हो जाने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त नहीं है ना ही उपायुक्त एवं प्राधिकारी महोदय जयपुर जौन नम्बर 11 को पक्षकार कायम किया है। उपरोक्त भूमि पर आवासीय मकान बने हुये है तथा भूखण्ड धारियों के पास हथरोई गढ़ी गृह निमाण सहाकरी समिति लि0 की योजना ईको सिटी के पट्टे मौजूद होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.04.2024 से आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु आदेश जारी किये गये है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बार्ड बाई लॉ होने से व

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला दूदू

[illegible]

... के आदेश दिनांक एकपक्षीय आदेश होने से वादी के हक एवं अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही भूस्वामी खातेदार की उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में दर्ज करवाने का अधिकार था क्योंकि कब्जा वादी के पास था। इसलिये वादी एवं अर्जुन बैरवा को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। दूसरा विक्रय पत्र भाग 42 आबादी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य था तथा शून्य दस्तावेजात के आधार पर करवाया गया इन्द्राजात भूस्वामी होने से वादी प्रमाणशून्य वादित एवं बेआधार है। जिसकी प्रमाणिकता पटवारी हल्का [illegible] की मौका रिपोर्ट से प्रमाणित होती है।एवं तथाकथित आदेश दिनांक 17.04.2023 को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया जा चुका है जिस आधार प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया निवेदन किया तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा की जांच रिपोर्ट में गिरदावरी सम्वत 2012–2014 में साबिक खसरा नं 79 में कॉलम संख्या 24, 32 एवं 49 में खसरा नम्बर के समक्ष विवरण में "काना पुत्र अमरा जाट" का अतिरिक्त अंकन किया जाना बताया गया है साथ ही ऐसा करने वाले दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर तहसीलदार मौजमाबाद की ओर दर्ज करवाई गई है, उक्त सम्बन्ध में पूर्व मय वाद कडूनवाली रामनारायण बनाम मदनलाल में दर्ज होकर कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त आराजीयात [illegible] द्वारा 17.06.2023 को संपरिवर्तन हो गई आबादी होने से [illegible]

उपखण्ड अधिकारी

नहीं है, मौखिक रूप से 50/-रूपये बेनाम होने से स्वत्वाधिकार नहीं । दोनि व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर व एस.एस.टी का मुकदमा नहीं चल सकता है। जे.डी.ए से रीट एप्रूईड होने तक घोषणा नहीं हो सकती है । डूंगारामजी विक्रय पत्र में साक्षी में हस्ताक्षर है। पूर्व से भी दावा चल रहा उसको छुपाकर नया दावा क्यों पेश किया गया है। धारा 13 व धारा 42 को पहले निर्णय होगा दौराने अधिवक्ता प्रतिवादी ने न्यायिक दृष्टान्त DNJ2017(1) page no 111 to 116, RRT 2010(1) page no 124 to 126 ,RLR 1988 page no 609 to 612 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया के साथ निवेदन किया कि धारा 13 रा०टी० एक्ट के आधार पर है। जागीरदारी से पूर्व 2008 में ही क्रय की थी। 2008 से 2013 तक मेरा आधिपत्य है, रामदेव /रामचन्द मीणा के इन्द्राज के बाद 1971 में मीणा के नाम हो जाती है ,1963 में एक्ट आ गया था एस.टी की जमीन पर सोसायटी नहीं काटी जा सकती धारा 42 को हिट करता है। मौका पर्चा 05.08.2021 व तहसीलदार रिपोर्ट 26.07.2021 से स्पष्ट है। कानजी का दाह संस्कार उसी खसरे में हुआ व मकान, मुर्गी फार्म उक्त आराजीयात में बने हुये है। बाई बॉय लॉ को ही तय करके आदेश 7 नियम 11 तय की जाती है। प्रथम सेटलमेन्ट को चुनौती लेकर ही दावा किया गया है उसके बाद के समस्त कागजात एवं प्रक्रिया अवैध एवं शून्य है। आज भी वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमिया है डी.एन.जे 2015 के अनुसार किस्म आबादी होते हुये भी कृषि हो रही है तो राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुना जायेगा । किसी भी न्यायालय वादी के कोई कोस्ट नहीं लगाई गई है। पूर्व दावे मे भी पक्षकार नहीं बनाया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । वादीगण की ओर से यह वाद वादग्रस्त कृषि भूमियां वादीगण बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 11 के द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए निर्गमित करने के आदेश पारित कर दिये है। उक्त आवासीय प्रयोजन होने के कारण श्रीमान को उक्त भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से प्रस्तुत वाद को खारिज फरमाते। एवं वादीगण के द्वारा बताया गया रामदेव ने बिना कब्जे के ही आराजीयात का विक्रय पत्र सन 1971 गोपी पुत्र अर्जुन बैरवा के नाम तस्दीक करवा दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

पत्रावली का अवलोकन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप वादग्रस्त आराजीयात के गिरदारी सम्वत 2012-2014 "काना पुत्र अमरा" जाति जाट विधिक रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज होने के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधिवक्ता प्रतिवादी की और से पेश दस्तावेज तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी

मौजमाबाद की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि उप तहसीलदार विचून द्वारा जारी ग्राम गिरधारीपुरा की खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–2014 में साविक खसरा नम्बर 73 में कॉलम नम्बर 24,32 एवं 40 में खसरा नम्बर 73 के समक्ष विवरण "काना पुत्र अमरा जाट" का अतिरिक्त अंकन दर्शित होना बताया जाकर दोषियों के विरूद्व एफ.आई.आर दर्ज करवायी गयी है। वर्तमान प्रकरण में वाद से ही स्पष्ट है कि वादीगण उक्त खसरा गिरदावरी के आधार पर ही घोषणा का अनुतोष चाह रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण के कथन तथा कथित दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का दर्ज खातेदारी फर्जी अंकन है जो वादीगण का दर्ज खातेदार गलत अंकन स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिती में जब वादीगण का वाद बाबत घोषणा का आधार ही कुटरचित प्रतीत होने से वाद का हेतुक नही होने के कारण वादी का वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। जहा तक अनुसूचित जनजाति को आराजीयात विक्रय किये जाने का प्रश्न है उक्त सम्बन्ध में विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित कराने को श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी सं 8 की और से पेश प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 वादीगण का वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है।

आदेश

प्रतिवादी सं 8 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16/05/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद, जिला दूदू

उभयपक्षों अधिवक्ता की प्रा० पत्र O R 7 R 11 C.P.C पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र O R 7 R 11 C.P.C दिनांक 16/05/2024 को पेश हो। [signature]

16/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप० अधि० प्रति सं. 8 की ओर से पेश प्रा० पत्र OR-7-R-11 C.P.C स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रा० पत्र OR-7-R-11 C.P.C स्वीकार होने से वादीगण का वाद खारिज होकर मुकदमा फैसल होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड ... अधिकारी मौजमा...